5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. Rs.5
भारत भारत भारत भारत
पाँच रु पाँच रुपये FIVE RUPEES

विखंडित विखंडित विखंडित

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

R 4169 – I – 16

रतना पिता मुलू अहिरवार ,

निबासी ग्राम बनहट, तहसील खुरई, जिला सागर ,

...............आवेदक

वनाम

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सागर,

2– म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार खुरई, जिला सागर म0प्र0

...............अनावेदक

रीडर ऑफ कोर्ट 8-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रर्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर जिला सागर द्वारा प्र0 क0 162 अ/21/2014–15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25/08/2015 से परिवेदित होकर कर रहा हैं। । जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक के नाम से ग्राम वनहट , प0 ह0 नं0 51, तहसील खुरई, जिला सागर में खसरा नंबर 245 में कुल रकवा 1.90 हैक्टेयर भूमि, भूमि स्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि काफी कंकड़ीली पथरीली, पड़ती होंने से आवेदक अपनी पारिवारिक अवश्यकताओं तथा ईलॉज कराने हेतु रूपयों की अवश्यकता के चलते वाद भूमि की विक्रय अनुमति वावद आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र कलेक्टर महोदय सागर को देने पर उनके द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/08/2015 के द्वारा निरस्त कर दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदक अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है।

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सागर
निवास- 143, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

निगरानी के आधार

राजेन्द्र पटैरिया
सागर
9425451002

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4169–एक/2016 जिला–सागर

रतना अहिरवार विरूद्ध म.प्र शासन द्वारा कलेक्टर सागर व तहसीलदार खुरई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर सागर, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 162/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 11-3-19 (आर0के0 जैन) सदस्य	